सेकेंडरी स्कूल स्थान आवंटन प्रणाली 2020/2022
(सेकेंडरी 1 में सितंबर 2022 में प्रवेश के लिये)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

स्वैच्छिक स्थान

(1) प्रश्न स्वैच्छिक स्थान (DP) क्या होते हैं?

उत्तर DP ऐसे सेकेंडरी 1 (S1) स्थान हैं जो सेकेंडरी स्कूल अपनी मर्जी से छात्रों को प्रवेश देने के लिये आरक्षित रखते हैं। सरकारी, सहायता प्राप्त और कपूट सेकेंडरी स्कूल 30% से ज्यादा स्थान नहीं रख सकते, और प्रत्यक्ष अनुदान योजना (DSS) सेकेंडरी स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल स्थान आवंटन प्रणाली (SSPA) में शामिल हैं, S1 में 30% से अधिक स्थान DP के रूप में रख सकते।

(2) प्रश्न एक DP के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर इस चक्र के लिये DP आवेदन अवधि 3 जनवरी (सोमवार) से 17 जनवरी 2022(सोमवार) तक है। SSPA प्रणाली में भाग लेने वाले सभी माध्यमिक स्कूल (भाग लेने वाले माध्यमिक स्कूल) उसी अवधि के भीतर आवेदन स्वीकार करते हैं।

वर्तमान चक्र में शामिल प्राथमिक 6 (P6) छात्रों के अभिभावकों को दिसंबर 2021 के प्रारंभ में सेकेंडरी वन स्वैच्छिक स्थान के आवेदन पत्र की दो प्रतियां प्राथमिक स्कूल देंगे। भाग लेने वाले प्राथमिक विद्यालयों में नहीं पढ़ने वाले छात्र 6 दिसंबर 2021 से 17 जनवरी 2022 तक कार्यालय समय के दौरान शिक्षा ब्यूरो (EDB) (पता: Office 2, 2/F, Manulife Financial Centre, 223 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon; टेलीफोन: 2832 7740 and 2832 7700) के स्कूल स्थान आवंटन अनुभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

DP आवेदन में जिलों पर प्रतिबंध नहीं होता। कोई छात्र दो से अधिक शामिल सेकेंडरी स्कूलों में आवेदन नहीं कर सकता वरना DP हासिल करने का उसका अवसर छिन जायेगा। छात्र द्वारा प्राप्त दो आवेदन पत्रों में से एक में स्कूल वरीयता क्रम 1 और दूसरे में स्कूल वरीयता क्रम 2 है। स्कूल वरीयता क्रम 1 छात्र की पहली पसंद के लिए है और स्कूल वरीयता क्रम 2 छात्र की दूसरी पसंद के लिए है।

भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों की सूची के लिए अभिभावक दिसंबर 2021 के आरंभ में प्राथमिक स्कूलों में बांटे जाने वाली सेकेंडरी वन स्वैच्छिक स्थानों (Handbook) के आवेदन के लिये पुस्तिका देखें। सूची डाऊनलोड करने के लिये अभिभावक EDB के वेब पेज (www.edb.gov.hk) (चुनते हैं: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary School Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) पर जा सकते हैं या EDB की चौबीस 24 घंटे की स्वचालित टेलीफोन पूछताछ प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं इसके लिये वह 2891 0088 डायल करने के बाद 2 दबाएं (अंग्रेजी के लिये) फिर > 5 फैक्स सेवा के लिये फिर > 04 सेकेंडरी स्कूल स्थान आवंटन प्रणाली स्कूल सूची फैक्स से प्राप्त करने के लिये।

(3) प्रश्न अपने बच्चों के लिये स्कूल का चयन करते समय अभिभावकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

उत्तर अभिभावकों को उचित विद्यालय पसंद करने के लिए, विद्यालय के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, जैसे उसकी शैक्षिक दर्शन, संस्कृति,कक्षा संरचना,विकास एवं संचालन,और उनके बच्चों की क्षमताएं,झुकावऔर रूचियां।

स्कूल, अपने शैक्षिक विचारों और विशेषताओं के अनुसार अपनी प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश मापदंड और शर्त स्वयं तय कर सकते हैं। हालांकि, स्कूलों के प्रवेश मापदंड और शर्त न्यायपूर्ण, निष्पक्ष खुली और शैक्षिक दृष्टिकोण से मजबूत होनी चाहिए और प्रवेश से पूर्व इन्हें सार्वजनिक किया जाना, उदाहरण के लिए स्कूल के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित कर, स्कूल के मुखपृष्ठ पर अपलोड कर, सेकेंडरी स्कूल के प्रोफाइल में प्रकाशित कर अथवा हर आवेदक को लिखित में सूचित करना, जरूरी है। स्कूल साक्षात्कार ले सकते हैं, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए।

अभिभावक स्कूलों की जानकारी के लिये दिसंबर 2021 में कमेटी ऑन होम स्कूल कोऑपरेशन (Committee on Home-School Co-operation) की तरफ से वितरित किये जाने वाले सेकेंडरी स्कूल प्रोफाईल देख सकते हैं अथवा अधिक जानकारी के लिये स्कूल की वेब साईट पर जा सकते हैं।

(4) प्रश्न चूंकि प्रवेश उद्देश्य के लिये सेकेंडरी स्कूल लिखित परीक्षा नहीं ले सकते, वह छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे करते हैं?

उत्तर आवेदनों का मूल्यांकन स्कूलों की ओर से तय प्रवेश कसौटी और शर्तों के आधार पर होता है अर्थात छात्रों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक प्रदर्शन पर। कुछ स्कूल छात्रों का मिजाज, रुचि और क्षमताएं समझने के लिये साक्षात्कार का आयोजन कर सकते हैं ता कि सही छात्रों को प्रवेश दे सकें।

(5) प्रश्न अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए DP आवेदन करते समय क्या विचार करने की आवश्यकता होती?

उत्तर DP आवेदन में सफल छात्रों को केंद्रीय आवंटन (CA) में स्कूल स्थान नहीं मिलेगा। इसलिये अभिभावक अपनी पसंद के स्कूलों में आवेदन करें। चूंकि सेकेंडरी वन स्वैच्छिक स्थान का आवेदन पत्र एक बार जमा किये जाने के बाद वापस नहीं लिया जाता या रद्द नहीं किया जा सकता और ना ही उसमें पसंद के स्कूल को लेकर कोई परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिये अभिभवकों को चाहिये कि आवेदन जमा करने से पहले ही सावधानी पूर्वक विचार कर लेना चाहिए ।

(6) प्रश्न DP आवेदन करते समय, कौन से दस्तावेज सेकेंडरी स्कूल में जमा कराने की आवश्यकता है?

उत्तर जमा किए जाने वाले दस्तावेजों में सेकेंडरी वन स्वैच्छिक स्थान के लिए आवेदन फॉर्म और संबद्ध स्कूल की ओर से मांगे गए आवश्यक दस्तावेज शामिल होने चाहिए, उदाहरण के लिए स्कूल रिपोर्ट कार्ड्स, अवार्ड अथवा पुरस्कार, पाठ्यक्रम के अलावा गतिविधियों और सामुदायिक सेवा के प्रमाणपत्र अथवा रिकॉर्ड। प्राथमिक स्कूलों के सिफारिशी पत्र और

इसके इलावा अलग-अलग विषयों में छात्रों के अंक या श्रेणी आदि उपलब्ध कराने की जरुरत नहीं है।

(7) प्रश्न यदि एक छात्र ने दो शामिल सेकेंडरी स्कलों में आवेदन किया है और दोनों ने उसे स्वीकार किया है तो DP स्थान मिलने की कसौटी क्या होगी?

उत्तर सेकेंडरी वन स्वैच्छिक स्थान के लिये हर आवेदन पत्र पर छात्र की पसंद के स्कूल के क्रम की शिनाख्त के लिये एक खास आवेदन संख्या अंकित होती है। EDB छात्र की वरीयताओं का स्कूल की सफल/आरक्षित सूची से मिलान करेगा। यदि छात्र दोनों स्कूलों में, जिनमें उसने आवेदन किया है, सफल रहता है तो आवंटन छात्र की पसंद के क्रम के अनुसार होगा। दूसरे शब्दों में छात्र को पहली पसंद का आवंटन मिलेगा।

यदि माता-पिता ने ऐसे सेकेंडरी स्कूल में आवेदन किया है जो किसी कारणवष इस आवंटन चक्र में SSPA प्रणाली के अंतर्गत S1 स्थान प्रदान नहीं करेगा तो उस आवेदन को संसाधित नहीं किया जाएगा।

(8) प्रश्न दो से अधिक शामिल सेकेंडरी स्कूलों में DP आवेदन करने के नतीजे क्या होंगे?

उत्तर यदि एक छात्र ने DP के लिये दो से अधिक शामिल स्कूलों, सरकार सहित, सहायता प्राप्त, कपुत या शामिल DSS सेकेंडरी स्कूल हों, में आवेदन किया है तो DP स्थान पाने का उसका अवसर छिन जायेगा।

(9) प्रश्न भाग लेने वाले दो से अधिक सेकेंडरी स्कूलों में आवेदन करने के अलावा क्या छात्र Jockey Club Ti-I College के लिए उसी समय आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर हां। Jockey Club Ti-I College में S1 के लिये आवेदन की अवधि 3 जनवरी से 19 जनवरी, 2022 है। अगर विद्यार्थी अपने आवेदन में Jockey Club Ti-I College के लिए सफल होते हैं तो वे उन्हें DP या SSPA प्रणाली के अंतर्गत CA में स्थान आबंटित नहीं किए जाएंगे। अगर वे अपने आवेदनों में असफल हो जाते हैं तो उन्हें अभी भी SSPA प्रणाली के माध्यम से S1 स्थान आवंटित किए जा सकते हैं।

(10) प्रश्न क्या छात्र SSPA प्रणाली में भागीदारी ना करने वाले प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त योजना के सेकेंडरी स्कलों (NDSS secondary schools) में भी उसी समय आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर हां। जैसा कि NDSS secondary schools की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिसमें कोई छात्र आवेदन कर सकते हैं, उसको कई NDSS secondary schools द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। हालाँकि, बशर्ते अभिभावक ने हस्ताक्षरित माता-पिता के अंडरटेकिंग को सरेंडर कर दिया हो और प्राथमिक 6 स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर्म की मूल प्रति ऑफर करने वाले स्कूलों में से किसी एक को दे दी हो, NDSS secondary school की ओर से दिये जा रहे S1 स्थान की स्वीकृति की पुष्टि करनी होगी तथा कोई भी और सब्सीडाईज्ड S1 स्थान छोड़ने का वचन देना होगा (शामिल सेकेंडरी स्कूलों के S1 स्थान और Jockey Club Ti-I College सहित)। स्कूल मई 2022 के शुरूआत तक अभिभावकों के निर्णय को EDB को सूचित करेगा। NDSS secondary schools से भाग लेने वाले छात्रों की सफल सूची प्राप्त करने पर, EDB SSPA प्रणाली के माध्यम से छात्रों को अन्य माध्यमिक विद्यालयों की सूची में आवंटित नहीं करेगा।

(11) प्रश्न क्या सभी भाग ले रहे छात्रों के लिये सेकेंडरी वन स्कूलों की (Choice Form) मई 2022 की शुरूआत तक EDB को भर कर वापस करने की आवश्यकता हैं?

उत्तर छात्रों ने किसी शामिल सेकेंडरी स्कूल में DP के लिये (Jockey Club Ti-I College सहित) में या NDSS secondary schools स्कूल का S1 स्थान के लिये आवेदन किया हो या नहीं, पर उन्हें स्कूलों की Choice Form भर कर मई 2022 की शुरुआत में प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से ईडीबी EDB को वापस करना होगा । ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिये है कि यदि छात्रों को इन सेकेंडरी स्कलों में प्रवेश नहीं मिल पाता तो उन्हें CA में S1 स्थान दिया जाएगा।

यदि किसी छात्र को NDSS secondary school दाखिला दिया जाता है और उसके माता-पिता ने NDSS secondary school के साथ माता-पिता का उपक्रम हस्ताक्षरित किया है और अपने मुख्य 6 विद्यार्थी रिकॉर्ड फॉर्म को दे दिया है, या एक सफल DP आवेदक के रूप में भाग लेने वाले माध्यमिक स्कूल द्वारा अधिसूचित किया है (Jockey Club Ti-I College सहित), या अन्य स्कूलों द्वारा दाखिल किया गया है (उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्कूल या प्राइवेट स्कूल) और CA में भाग नहीं लेने का फैसला किया है, उसके माता-पिता को केवल Choice Form को हस्ताक्षरित करना होगा और CA में भाग नहीं लेने के इरादे को इंगित करने के लिए स्कूल विकल्प के भाग को काटना होगा। यदि माता-पिता किसी भी स्कूल के विकल्प नहीं चुनते हैं और Choice Form पर CA में भाग नहीं लेने के अपने इरादे को इंगित नहीं करते हैं, और छात्रों को NDSS secondary schools द्वारा दाखिला नहीं दिया जाता है और नही DP चरण पर स्कूल स्थान आवंटित नहीं किया जाता है, तो छात्रों को स्थापित आवंटन तंत्र के अनुसार स्कूल के स्थान आवंटित किए जाएँगे।

(12) प्रश्न सफल DP आवेदकों के लिए व्यवस्था के तहत (अधिसूचना व्यवस्था), छात्रों को DP SSPA चक्र के लिए आवेदन परिणाम कब पता चलेगा?

उत्तर इस SSPA 2020 से शुरू होकर, सभी भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों (Jockey Club Ti-I College सहित) को DP आवेदनों को संसाधित करने के बाद, उनके सभी सफल आवेदकों के माता-पिता को केंद्रीय आवंटन (CA)[1] से पहले एक निर्दिष्ट तिथि पर पत्र और फोन द्वारा सूचित करना होगा और उन्हें स्वैच्छिक स्थानों की सफल सूची में शामिल करना होगा। इस SSPA चक्र की निर्दिष्ट तिथि 31 मार्च 2022 है। ये अधिसूचना व्यवस्था आरक्षित और असफल आवेदकों पर लागू नहीं हैं, ना ही आवंटन परिणामों की सूचनाएँ। संबंधित माता-पिता को सूचनाओं का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त अधिसूचना व्यवस्था प्रशासनिक उपाय हैं। मौजूदा SSPA तंत्र और प्रक्रियाएँ अपरिवर्तित रहती हैं। इस SSPA चक्र के सभी छात्रों को 12 जुलाई 2022 को SSPA आवंटन परिणाम (DP और CA चरणों में परिणाम सहित) प्राप्त होंगे।

यदि छात्र SSPA प्रणाली में भाग नहीं लेने वाले प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और उन्हें DP चरण पर एक स्कूल स्थान आवंटित किया गया है, तो भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालय या Jockey Club Ti-I College माता-पिता को आधिकारिक DP परिणाम और संबंधित व्यवस्था से अवगत कराने के लिए 12 जुलाई 2022 को फोन करेंगे (यानी आवंटन परिणामों की घोषणा की तारीख पर)। यदि आवश्यक हो, तो माता-पिता माध्यमिक विद्यालय(यों) 12 जुलाई 2022 को संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है।

[1] सफल विवेकाधीन स्थानों के आवेदकों और नमूना अधिसूचना पत्र को सूचित करने के लिए व्यवस्था के विवरण के लिए कृपया EDB परिपत्र संख्या 18/2019 देखें।

(13) प्रश्न यदि छात्रों ने दो भाग लेने वाले स्कूलों में DP आवेदन जमा किए हैं, तो क्या उन्हें क्रमश दोनों स्कूलों द्वारा सफल आवेदकों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा?

उत्तर उन व्यक्तिगत छात्रों के लिए जिन्होंने दो भाग लेने वाले स्कूलों में DP आवेदन जमा किए हैं और दोनों आवेदनों में सफल रहे हैं, उनके माता-पिता क्रमशः दो प्रतिभागी माध्यमिक स्कूलों से सूचनाएँ प्राप्त करेंगे। संबंधित छात्रों को मौजूदा SSPA तंत्र के अनुसार उनकी पहली पसंद के स्कूलों में आवंटित किया जाएगा।

(14) प्रश्न भाग लेने वाले माध्यमिक स्कूलों से सूचनाएँ प्राप्त करने के बाद, क्या संबंधित माता-पिता को संबंधित विद्यालयों को विद्यालय की तरजीह के अपने क्रम का खुलासा करना होगा और प्रस्तावित DP संबंधी उनकी स्वीकृति की पुष्टि करनी होगी?

उत्तर मौजूदा SSPA प्रणाली के अनुसार, माता-पिता को उन स्कूलों को स्कूल की तरजीह के अपने क्रम का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें उन्होंने आवेदन किया । अधिसूचना व्यवस्था के तहत भाग लेने वाले स्कूलों द्वारा माता-पिता को सूचनाएँ आवंटन परिणामों की आधिकारिक विज्ञप्ति नहीं है। इसलिए, माता-पिता को संबंधित स्कूलों को स्कूल की तरजीह के अपने क्रम का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही अपने बच्चों के सफल DP आवेदनों की सूचना प्राप्त करने के बाद दी गई DP की उनकी स्वीकृति की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

(15) प्रश्न कुछ छात्रों को भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों द्वारा सफल DP आवेदकों के रूप में अधिसूचित किया जाता है और NDSS secondary school द्वारा S1 स्थान की भी पेशकश की जाती है। यदि वे NDSS secondary school से प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें संबंधित माता-पिता का उपक्रम के मूल सिद्धांतों और प्राथमिक मुख्य 6 विद्यार्थी रिकॉर्ड फॉर्म को NDSS secondary school से वापिस क्यों लेना चाहिए? यदि दस्तावेजों को पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है, तो क्या छात्रों को अंत में संबंधित माध्यमिक स्कूलों को आवंटित किया जाएगा?

उत्तर मौजूदा तंत्र के अनुसार, सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के आधार पर, प्रस्ताव की स्वीकृति और SSPA प्रणाली के माध्यम से आवंटित किए जाने वाले अन्य सब्सिडी वाले S1 स्थानों के छोड़ने की पुष्टि लिए (शामिल सेकेंडरी स्कूलों के S1 स्थान और Jockey Club Ti-I College सहित), NDSS secondary schools पेशकश किए गए S1 स्थानों को स्वीकार करने माता-पिता से अपने बच्चों के प्राथमिक मुख्य 6 छात्र रिकॉर्ड फॉर्म की मूल प्रतिय के साथ हस्ताक्षरित माता-पिता का उपक्रम एकत्र करेंगे, एक ही समय में दो सब्सिडी माध्यमिक स्कूल स्थानों पर कब्जा करने से संबंधित छात्रों को रोकने के लिए। सफल DP आवेदकों के लिए अधिसूचना व्यवस्था के तहत, यदि छात्रों को भाग लेने माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अधिसूचित किया गया है (Jockey Club Ti-I College सहित) और NDSS secondary school S1स्थान की पेशकश भी दी जाती है, वे तय कर सकते हैं कि NDSS secondary school से अप्रैल में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्ताव को अस्वीकार करना है या नहीं (अर्थात्स्कूलों से सूचनाएँ प्राप्त करने के लगभग 5 कार्य दिवस के भीतर मार्च के अंत में सफल DP आवेदकों के रूप में; सामान्य परिस्थितियों में SSPA 2022 के लिए NDSS secondary schools की अंतिम अधिसूचना 8 अप्रैल 2022 है)। यदि माता-पिता संबंधित NDSS secondary schools को सूचित नहीं करते हैं और हस्ताक्षरित माता-पिता का उपक्रमों की प्राथमिकताओं और प्राथमिक 6 विधार्थी रिकॉर्ड फॉर्म को निर्दिष्ट समय में प्राप्त करते हैं, तो मौजूदा कार्यविधियों के तहत, संबंधित छात्रों को अभी भी NDSS schools के भाग लेने वाले छात्रों की सफल सूचियों में शामिल किया जाएगा जिन्हें मई के प्रारंभ में प्रस्तुत किया जाएगा

और इस प्रकार उन्हें भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों के S1 स्थानों के साथ आवंटित नहीं किया जाएगा, सफल DP आवेदकों के रूप में उन्हें चयनित करने वालों सहित।

(16) प्रश्न सफल DP आवेदकों के रूप में भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों से सूचनाएँ प्राप्त करने के बाद, क्या माता-पिता को एक बार संबंधित स्कूलों के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी?

उत्तर अधिसूचना व्यवस्था प्रशासनिक उपाय हैं। मौजूदा SSPA तंत्र और प्रक्रियाएँ अपरिवर्तित रहती हैं। भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों से माता-पिता को सूचनाएँ आवंटन परिणामों की आधिकारिक विज्ञप्ति नहीं हैं, और माता-पिता को तुरंत संबंधित स्कूलों के साथ पंजीकरण प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। 12 जुलाई 2022 को SSPA के आधिकारिक परिणाम जारी होने के बाद माता-पिता को आवंटन पर्ची और प्रवेश पर्ची प्राप्त होगी। तब तक, माता-पिता को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवंटित माध्यमिक विद्यालयों के साथ पंजीकरण प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है।

(17) प्रश्न यदि भाग लेने वाले माध्यमिक स्कूलों द्वारा छात्रों को सफल DP आवेदकों के रूप में सूचित नहीं किया गया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें DP चरण पर स्कूल का स्थान आवंटित नहीं किया जाएगा?

उत्तर अधिसूचना व्यवस्था के तहत, कुछ छात्र दो भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों से अपने सफल DP आवेदनों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अंतत SSPA तंत्र के अनुसार एक स्थान को उपलब्ध छोड़कर अपनी पहली पसंद के स्कूलों में आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा, कुछ सफल आवेदक उन्हें आवंटित DP को त्याग सकते हैं और NDSS secondary schools द्वारा प्रस्तावित स्थानों को स्वीकार कर सकते हैं। इन सफल DP आवेदकों को आवंटित स्थानों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए, जिन छात्रों को सूचित नहीं किया गया है, उन्हें आरक्षित आवेदकों की क्षमता में DP चरण पर आवेदन किए गए स्कूलों में S1 स्थान आवंटित किया जा सकता है।

(18) प्रश्न क्या भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों द्वारा सफल DP आवेदकों को अधिसूचना जारी करने के बाद माता-पिता अन्य पसंदीदा माध्यमिक विद्यालयों से संपर्क कर सकते हैं और दाखिले के बारे में पूछताछ कर सकते हैं?

उत्तर मौजूदा SSPA तंत्र के तहत, स्कूलों के S1 स्थानों को, पुनरावर्तक और DP कोटे की कटौती के बाद, CA के लिए उपयोग किया जाएगा। जुलाई में आवंटन परिणाम जारी होने से पहले माध्यमिक स्कूलों को किसी भी संभावित अप्रयुक्त स्थानों को भरने के लिए चयन या दाखिला प्रक्रिया (आवेदन स्वीकार करने, छात्रों के चयन या प्रवेश की प्रक्रियाओं सहित) का आयोजन नहीं करना चाहिए। यह माता-पिता और छात्रों पर अनुचित दबाव और अनुचित परिस्थितियों को बनाने से बचने के लिए है। इस प्रकार, माता-पिता को स्कूलों के संचालन को प्रभावित करने से बचाने के लिए अन्य पसंदीदा माध्यमिक स्कूलों का रुख नहीं करना चाहिए।

स्कूल स्थान आवंटन अनुभाग
शिक्षा ब्यूरो
सितंबर 2021

सेकेंडरी स्कूल स्थान आवंटन प्रणाली 2020/2022
(सेकेंडरी 1 में सितंबर 2022 में प्रवेश के लिये)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

केंद्रीय आबंटन

(1) प्रश्न अभिभावकों को केंद्रीय आवंटन (CA) के लिए चयन निर्माण दस्तावेज कब मिलेंगे?

उत्तर वर्तमान चक्र के प्राथमिक 6 (P6) में भाग लेने वाले छात्रों के अभिभावकों को स्कूलों का पत्रक (Choice Form) माध्यमिक एक चयन पत्रकव संबंधित चयन निर्माण दस्तावेज उनके बच्चों के प्राथमिक स्कूल के मार्फत अप्रैल 2022 के मध्य में मिलेगा। अभिभावकों को Choice Form भर कर शिक्षा ब्यूरो (EDB) में अपने बच्चों की प्राथमिक स्कूल के मार्फत मई 2022 के आरंभ में देना होगा।

(2) प्रश्न चयन का Choice Form भरते समय अभिभावकों को ध्यान में रखना चाहिए?

उत्तर माता-पिता को एक स्कूल के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए जैसे इसके शैक्षिक दर्शन, संस्कृति, धर्म, वर्ग संरचना, विकास और संचालन, और उनके बच्चों की क्षमताएं, झुकाव और रुचियां ताकि एक उपयुक्त स्कूल विकल्प बनाया जा सके।

Choice Form अंश A व अंश B में विभकत है। अंश A असीमित स्कूल चयन के लिए, अभिभावक किसी भी स्कूल नेट से अधिकतम तीन सेकेंडरी स्कूल चुन सकते हैं, इसमें उनके बच्चों के अपने स्वयं के नेट के स्कूल भी शामिल हैं। अंश B सीमित स्कूल चयन के लिए, अभिभावक अपने बच्चों के स्वयं के नेट के तहत ही अधिकतम 30 सेकेंडरी स्कूल चुन सकते हैं। अगर उन्होंने अंश A में जो स्कूल चुना है, वह उनके बच्चों के स्कूल नेट में भी है तो वे इसे अंश B में भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभिभावक एक ही भाग में किसी स्कूल चयन को दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनके बच्चे को इन स्कूलों में आवंटन के अवसर नहीं बढ़ेंगे ।

जब अभिभावक अंश A के स्कूल चयन को पूर्ण कर लें, तो उन्हें हैंडबुक ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड स्कूल्स चॉइस (Handbook) देखनी चाहिए, जो अप्रैल 2022 के शुरुवात में प्राथमिक स्कूलों में वितरित की जाएगी। सूची डाऊनलोड करने के लिये अभिभावक EDB के वेब पेज (www.edb.gov.hk) (चुनते हैं: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary School Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) पर जा सकते हैं या EDB की 24 घंटे की स्वचालित टेलीफोन पूछताछ प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं इसके लिये वह 2891 0088 डायल करने के बाद 2 दबाएं (अंग्रेजी के लिये) फिर > 5 फैक्स सेवा के लिये फिर > 04 सेकेंडरी स्कूल स्थान आवंटन प्रणाली स्कूल सूची फैक्स से प्राप्त करने के लिये। जब अभिभावक अंश B के स्कूल चयन को पूर्ण कर लेंगे, उन्हें अपने बच्चे के स्कूल नेट की सेकेंडरी स्कूल सूची देखना चाहिए। Choice Forms के साथ, सेकेंडरी स्कूलों की सूची भी संदर्भ के लिए अभिभावकों को अप्रैल के शुरुवात में वितरित की जाएगी।

(3) प्रश्न उन माता-पिता के लिए जिन्होंने 31 मार्च 2022 को SSPA प्रणाली (भाग लेने वाले माध्यमिक स्कूल) सफल स्वैच्छिक स्थानों (DP) के आवेदकों के रूप में माध्यमिक स्कूलों से सूचनाएँ प्राप्त की हैं, क्या उन्हें CA के लिए स्कूलों के Choice Forms भरने और जमा करने की आवश्यकता है?

उत्तर जिन छात्रों को भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों द्वारा सफल DP आवेदक के रूप में अधिसूचित किया गया है, उनके माता-पिता को केवल संपर्क जानकारी भरने के बाद Choice Form पर हस्ताक्षर करना होंगे, स्कूल की पसंद के हिस्सों को यह इंगित करने के लिए पार करना होगा कि उन्हें स्कूल के विकल्प नहीं बनाने हैं, स्कूल की पसंद के हिस्सों को काटना है और, और Choice Form को उस स्कूल को वापिस करना है जिनमें उनके बच्चों जाते हैं।

(4) प्रश्न CA के लिए क्या मानदंड हैं?

उत्तर CA छात्रों के आवंटन बैंड, अभिभावकों के स्कूलों के चयन व सांयोगिक क्रमांक पर आधारित है।

(5) प्रश्न आवंटन बैंड कैसे तय होते हैं? वे किस काम आते हैं?

उत्तर छात्रों को उनके आंतरिक मूल्यांकन (IA) के नतीजे के अनुसार उनके आवंटन बैंड दिए जाते हैं। छात्रों के IA नतीजे उनके प्राथमिक 5 के अंत में तथा साल के मध्य एवं P6 के अंत में मानकीकृत किए जाएंगे और उनकी तुलना स्कूल के प्री-सेकेंडरी वन हांगकांग अटेनमेंट टेस्ट (Pre-S1 HKAT) 2016 व 2018 के नतीजों के नमूने के औसत से की जाएगी। उन स्कूलों जिन के पास Pre-S1 HKAT 2016 या 2018 के नमूना परिणाम नहीं हैं (उदाहरण के लिए एक नए भागीदार स्कूल), उनमें उस विशेष साल के उसी सकल नेट के भाग लेने वाले सभी प्राइमरी स्क्लो के औसत टेस्ट परिणाम तुलना के लिए इस्तेमाल किए।

अंश A में CA के असीमित स्कूल चयन में स्कूल स्थान आवंटन के लिए क्षेत्र के सारे छात्रों के सारणी अंक श्रेष्ठा के अनुसार रखे जाएंगे। इसके बाद छात्रों को तीन बराबर क्षेत्र बैंड में बांटा जाएगा, हर एक में क्षेत्र के कुल छात्रों का 1/3 होगा। अंश B में CA के प्रतिबन्धित स्कूल चयन में स्कूल स्थान आवंटन के लिए क्षेत्र के सारे छात्रों के सारणी अंक उसी स्कूल नेट में श्रेष्ठता के अनुसार रखे जाएंगे। इसके बाद छात्रों को तीन बराबर नेट बैंड में बांटा जाएगा, हर एक में स्कूल नेट के कुल छात्रों का 1/3 होगा।

क्षेत्र बैंड किसी छात्र को अंश A में CA के रूप में असीमित स्कूल स्थान में आवंटन क्रम तय करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, नेट बैंड अंश B में CA के रूप में सीमित स्कूल स्थान आवंटन तय करने के लिए है। आवंटन बैंड किसी प्राइमरी P6 छात्र के शिक्षा कार्य निष्पादन का पूर्णतः मानक नहीं है, और व्यक्तिगत छात्रों का आवंटन बैंड आवंटन प्रक्रिया की समाप्ती के बाद कायम नहीं रखा जाएगा।

(6) प्रश्न सेकेंडरी स्कूल नेट की सीमा कैसे बनाई जाती है?

उत्तर जिला प्रशासन सीमाओं के अनुसार अंश B में CA के रूप में स्कूल स्थानों का आवंटन स्कूल नेट के लिए पूरे क्षेत्र को 18 माध्यमिक स्कूल नेट्स में विभाजित कर दिया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार, सिद्धांत में, सेकेंडरी स्कूल नेट, जिससे छात्र संबंधित है, उसके प्राथमिक स्कूल जिसमें वह जाता है, के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(7) प्रश्न हर स्कूल नेट में सेकेंडरी 1 (S1) का स्थान कैसे नियत किया जाता है?

उत्तर सार्वजनिक स्कूलों में स्थान देने की योजना क्षेत्र के आधार पर की जाती है। SSPA सिस्टम का उद्देश्य भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र को क्रमिक रूप से S1 स्थान का आवंटन करना है। अभिभावकों और भाग लेने वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करने हेतु, अभिभावकों को DP स्टेज में और CA स्टेज के अंश A में अप्रतिबंधित स्कूल चयन में किसी भी जिले में से स्कूल का चयन करने, और CA स्टेज के अंश B में प्रतिबंधित स्कूल चयन के माध्यम से स्कूल नेट से जुड़े भागीदार छात्र को किसी भी स्कूल का चयन करने की अनुमति दी जाती है। यह देखते हुए कि स्कूल नेट और भौगोलिक स्थिति के बीच सेकेंडरी स्कूलों का वितरण असामान्य होता है, नेट में स्कूल के स्थानों की कमी के चलते नेटिंग व्यवस्था करने की प्रथा बहुत समय से चलती आ रही है। जिन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उनमें प्रत्येक जिले में स्कूल के स्थान की मांग और आपूर्ति, स्कूलों के स्थान और स्कूल नेट के बीच उपलब्धता के साथ-साथ वहाँ तक पहुंचना, और स्थापित नेटिंग पैटर्न, आदि शामिल हैं। SSPA कमिटी (प्रत्येक स्कूल नेट से सेकेंडरी ६ प्राथमिक स्कूल के प्रतिनिधि और प्रमुख सेकेंडरी और प्राथमिक स्कूल काउंसिलों से प्रतिनिधियों से युक्त सदस्य) के साथ आपसी परामर्श द्वारा हम इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न हिस्सेदारों की जरूरतों के बीच संतुलन कायम करेंगे।

मांग और आपूर्ति की स्थिति के अनुसार वर्ष दर वर्ष अन्य जिलों से प्रदान की गईं सेकेंडरी स्कूलों और स्कूल के स्थानों की संख्या बदल सकती है।अभिभावकों को संबंधित चक्र हेतु नेटिंग व्यवस्था के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल में EDB द्वारा प्रदान की गई सेकेंडरी स्कूल की सूचियों का संदर्भ लेना चाहिए।

(8) प्रश्न क्रॉस-नेट आवंटन क्या है?

उत्तर CA के अंश B के लिए स्कूल के स्थानों का आवंटन स्कूल नेट द्वारा किया जाता है और छात्र जिस स्कूल नेट से सम्बद्ध है, वह उस प्राथमिक स्कूल के नेट की नियमावली में है, जिसमें वह पढ़ता/पढ़ती है। अगर स्कूल नेट को बदलना ख़ास कारणों के साथ, वास्तव में जरूरी है, तो माता-पिता मान्य दस्तावेजों के साथ किसी दूसरे नेट के आवंटन के लिए उस प्राथमिक स्कूल के माध्यम से, जिसमें उनका बच्चा मार्च से पहले पढ़ रहा है, EDB में आवेदन जमा कर सकते हैंI प्राथमिक स्कूल आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदन के दस्तावेजों की सभी सत्यापित प्रतियाँ EDB को भेजेगा। अगर छात्र/छात्रा को वह स्कूल नेट आवंटित कर दिया जाता है जो उसके हांगकांग आवासीय पते (यानी एक निवास स्थान जिस पर आवेदक छात्र/छात्रा रहता/रहती है और जो उसे उसका एकमात्र या मुख्य घर सिद्ध करता है) से सम्बद्ध है, तो छात्र/छात्रा नए स्कूल नेट में CA के अंश B में भाग लेगा/लेगी।

(9) प्रश्न क्रॉस-नेट आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए छात्र के आवासीय पते की घोषणा करते समय और प्रासंगिक प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय माता-पिता को क्या ध्यान देना चाहिए?

उत्तर माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा का आवासीय पता हांगकांग में उसका एकमात्र या मुख्य पता होना चाहिए, यानी एक निवास स्थान जिस पर आवेदक छात्र/छात्रा रहता/रहती है और जो उसे उसका एकमात्र या मुख्य घर सिद्ध करता है। स्वीकार्य हांगकांग आवासीय पते के प्रमाणित दस्तावेजों में शामिल हैं - स्टाम्प किया हुआ किरायेदार एग्रीमेंट, दरों और/या सरकारी किराये के लिए डिमांड नोट, सार्वजनिक आवास प्राधिकरण द्वारा जारी किरायेदार एग्रीमेंट या किरायेदार का किराया कार्ड, घर का टेलीफोन बिल, और विभिन्न उपभोक्ता कम्पनियों जैसे टाउनगैस हांगकांग इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, जल आपूर्ति विभाग आदि के बिल। अन्य दस्तावेज जैसे बैंक के स्टेटमेंटस और मोबाइल फ़ोन के बिल स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके अलावा, माता-पिता का नाम और पता (यानी भुगतान करने वाले) हांगकांग के आवासीय पते के प्रमाणित दस्तावेज पर प्रिंट होना चाहिए।

(10) प्रश्न अगर कोई छात्र क्रॉस नेट आवंटन के लिए अनुमोदित हो जाता है, तो उस का नेट बैंड नए स्कूल नेट में कैसे तय होगा?

उत्तर क्रॉस नेट आवंटन के लिए अनुमोदित छात्र के लिए उसने मूल स्कूल नेट की स्कूल में जो सारणी अंक प्राप्त किए हैं वे वह छात्र जिस नए स्कूल नेट में गया उसके छात्रों के सारणी अंक से उनकी तुलना की जाएगी, वह जिस नेट बैंड से संबंधित है उसे निश्चित करने के लिए। दूसरे शब्दों में, छात्र का नेट बैंड नए स्कूल नेट में उसके मूल स्कूल नेट से भिन्न हो सकता है।

(11) प्रश्न CA के लिए आवंटन प्रक्रिया क्या है?

उत्तर अंश A में असीमित स्कूल चयन प्रक्रिया पहले है। जब सारे छात्रों स्कूल चयन अंश A में प्रक्रिया पूर्ण हो जाए केवल तभी कंप्यूटर अंश B की सीमित स्कूल चयन की प्रक्रिया को शुरू करेगा।

जब कंप्यूटर अंश A में असीमित स्कूल चयन प्रक्रिया करता है, वह पहले छात्रों को उनके स्कूल चयन की प्राथमिकता के क्रमानुसार क्षेत्र बैंड 1 के छात्रों को स्थान आबंटित करेगा। इन सारे छात्रों की स्कूल चयन की पड़ताल के बाद, कंप्यूटर उसी प्रक्रिया से क्षेत्र बैंड 2 के छात्रों की स्कूल चयन प्रक्रिया करेगा व अंतत: क्षेत्र बैंड 3 के विद्यार्थियों के लिए। अंश A में स्थान प्राप्त करने में सफलता पाने वाले छात्र अंश B में स्थान पाने के लिए अनुमोदित नहीं होंगे। अगर कोई छात्र अपने स्कूल चयन में सब विकल्प समाप्त होने के बाद भी अंश A में अनुमोदित नहीं होता तो उसे अंश B में स्थान आवंटित होगा।

जब कंप्यूटर अंश B में सीमित स्कूल चयन की प्रक्रिया करेगा, तो वह नेट बैंड 1 के छात्रों को उनकी प्राथमिकता के क्रमानुसार स्कूल स्थान अनुमोदित करेगा। अगर कोई छात्र सब कुछ होने के बाद भी अपने सारे चयन की स्कूलों में स्थान प्राप्त नहीं करता, तो कंप्यूटर उसे बचे हुए स्कूल नेट में स्थान अनुमोदित करेगा। नेट बैंड 1 के सारे छात्रों को स्कूल स्थान अनुमोदित हो जाने के बाद कंप्यूटर उसी प्रक्रिया से नेट बैंड 2 के छात्रों की स्कूल चयन प्रक्रिया करेगा व अंतत: नेट बैंड 3 के विद्यार्थियों के लिए।

यदि माता-पिता ने ऐसे सेकेंडरी स्कूल का चुनाव किया है जो किसी कारणवष इस आवंटन चक्र में SSPA प्रणाली के अंतर्गत S1 स्थान प्रदान नहीं करेगा तो उस स्कूल पसंद को संसाधित नहीं किया जाएगा।

(12) प्रश्न सांयोगिक संख्या किसलिए इस्तेमाल होती है?

उत्तर सांयोगिक संख्या कप्यूटर द्वारा केंद्रीय अनुमोदन कार्यक्रम शुरू करने से पहले उत्पन्न की जाती है। यह छात्रों को उसी अनुमोदन बैंड में अनुमोदन का क्रम सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यदि एक निश्चित माध्यमिक स्कूल के स्कूल स्थानों की मांग आपूर्ति से अधिक है, तो उसी आवंटन बैंड के भीतर एक छोटी सांयोगिक संख्या रखने वाले छात्र को पहले स्थान आवंटित किया जाएगा। सांयोगिक नंबर का छात्र संदर्भ संख्या या छात्र के व्यक्तिगत डाटा से कोई संबंध नहीं है, और आवंटन प्रक्रिया की समाप्ती के बाद कायम नहीं रखा जाएगा।

स्कूल स्थान आवंटन अनुभाग
शिक्षा ब्यूरो
सितंबर 2021

सेकेंडरी स्कूल स्थान आवंटन प्रणाली 2020/2022
(सेकेंडरी 1 में सितंबर 2022 में प्रवेश के लिये)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अन्य

फीडर और नामांकित स्कूल

(1) प्रश्न किसी फीडर/नामांकित स्कूल में पढ़ने वाले प्राथमिक 6 (P6) छात्र के लिये सेकेंडरी 1 (S1) प्रवेश की क्या व्यवस्था है?

उत्तर सामान्य तौर पर, रिपीटर और स्वैच्छिक स्थानों (DP) की कटोती के बाद एक फीडर सेकेंडरी स्कूल बाकी 85% स्थान अपने फीडर प्राथमिक स्कूलों के लिये तथा एक नामांकित सेकेंडरी स्कूल 25% स्थान अपने नामांकित प्राथमिक स्कूलों के लिये केंद्रीय आवंटन (CA) के स्तर पर रखने हैं। किसी फीडर /नामांकित स्कूल का एक P6 छात्र एक आरक्षित स्थान पाने का हकदार होता है अगर वह नेट बैंड 1 अथवा 2 में आता है और अंश B सीमित स्कूल पसंद में उसने अपनी पहली पसंद फीडर / नामांकित स्कूल को चुना है। अभिभावक सीधे फीडर / नामांकित सेकेंडरी स्कूलों में पूछताछ कर सकते हैं।

अगर योग्य छात्रों की संख्या आरक्षित स्थानों से अधिक होती है तो आवंटन की प्राथमिकता छात्र के नेट बैंड के अनुसार और सांयोगिक संख्या के अनुसार तय की जायेगी जब तक कि सभी आरक्षित स्थान भर नहीं दिये जाते। दूसरी तरफ, उपयोग नहीं हुए सभी आरक्षित स्थानों, यदि कोई हो, का उपयोग स्वतरू आवंटन के लिए उपलब्ध स्थानों के रूप में किया जाएगा।

यदि फीडर या नामांकित स्कूल के P6 छात्र को क्रॉस-नेट आवंटन के लिए अनुमोदित कर दिया जाता है तो वह फीडर या नामांकित स्कूल(लों) के आरक्षित स्थान के लिए पात्र नहीं होगा।

"थ्रू -ट्रैन" स्कूल

(2) प्रश्न किसी "थ्रू -ट्रैन" स्कूल में पढ़ने वाले P6 छात्र के लिये S1 प्रवेश की क्या व्यवस्था है?

उत्तर "थ्रू -ट्रैन" स्कूल का एक P6 छात्र अपने संबद्ध सेकेंडरी स्कूल से सीधे आगे बढ़ना चुन सकता है। यदि छात्र भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों के DP के लिए या माध्यमिक विद्यालय स्थान आवंटन प्रणाली (NDSS secondary schools) में भाग नहीं लेने वाले डायरेक्ट सब्सिडी योजना माध्यमिक स्कूलों के S1 स्थान (नों) के लिएआवेदन करता है (सफल है या नहीं मायने नहीं रखता), या CA में भाग लेता है, उसे संबद्ध माध्यमिक विद्यालय के लिए सीधे आगे बढ़ने के अधिकार को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डायरेक्ट सब्सिडी स्कीम सेकेंडेरी स्कूल

(3) प्रश्न अगर अभिभावक अपने बच्चों को एक डायरेक्ट सब्सिडी स्कीम (DSS) सेकेंडरी स्कूल में भेजना चाहते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिये?

उत्तर अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए कि DSS स्कूल फीस ले सकते हैं। छात्रों को उनके DSS स्कूलों में सेकेंडरी 3 की शिक्षा पूर्ण करने पर उनके अपने स्कूल में सेकेंडरी 4 (S4) में लिया जा सकता है और इन्हें शिक्षा ब्यूरो (EDB) से आर्थिक सहायता प्राप्त अन्य स्कूलों में S4 स्थान आवंटित नहीं किए जाएंगे।

(4) प्रश्न हिस्सा लेने वाले DSS सेकेंडरी स्कूलों के लिये आवंटन व्यवस्था में सरकारी, सहायता प्राप्त और कपुत सेकेंडरी स्कलों की तुलना में क्या फर्क है?

उत्तर भागीदार DSS सेकेंडरी स्कूलों के लिए उनकी आवंटन व्यवस्था मूल सरकारी, सहायता प्राप्त, कपुत सेकेंडरी स्कूलों जैसी ही होती है, अंतर कंवल इतना है कि DSS सेकेंडरी स्कूल 30% से ज्यादा स्थान DP के रूप में S1 आरक्षित रख सकते हैं और भागीदार DSS सेकेंडरी स्कूलों के S1 स्थानों का आवंटन में "विकल्प नहीं आवंटन नहीं" अंश B के सीमित स्कूल पसंद में CA सिद्धांत पर होता है अर्थात् छात्रों को भागीदार DSS सेकेंडरी स्कूलों में तब तक आवंटन नहीं मिलेगा जब तक कि उन्होंने उन्हें अंश B में CA के रूप में अपनी पसंद के स्कूलों में से एक में शामिल न किया हो।

(5) प्रश्न हिस्सा न लेने वाले NDSS secondary schools के लिये प्रवेश प्रक्रिया क्या है?

उत्तर NDSS secondary schools, वे छात्रों को अपनी प्रक्रिया और समयानुसार प्रवेश दे सकते हैं और उन्हें सेकेंडरी स्कूल स्थान आवंटन प्रणाली (SSPA) के जरिये छात्र नहीं दिये जाते। NDSS secondary schools में कितने छात्र आवेदन करें, इसकी संख्या की सीमा नहीं है और प्रवेश स्कूलों की ओर से तय कसौटी के आधार पर होता है। NDSS secondary schools को मई के प्रारंभ तक भाग लेने वाले छात्रों की सफल सूची EDB को सौंपना आवश्यक है। NDSS secondary schools के भाग लेने वाले छात्रों की सफल सूचियों में शामिल छात्रों को भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों के S1 स्थानों को आवंटित नहीं किया जाएगा, जिन्हें सफल DP आवेदक के रूप में चुना गया है उनके सहित।

<u>गैर चीनी भाषी छात्र</u>

(6) प्रश्न गैर चीनी भाषी (NCS) छात्रों के लिये आवंटन व्यवस्था क्या है?

उत्तर सभी पात्र छात्र, उनकी जाति या जन्मस्थान के बावजूद, निष्पक्ष और पारदर्शी SSPA प्रणाली के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यमिक स्कूलों में दाखिले के लिए समान अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सभी पात्र छात्र (NCS छात्रों के साथ) को इसी तंत्र के अनुसार S1 स्थान आवंटित किया जाएगा। NCS छात्र किसी भी दो भाग लेने वाले माध्यमिक विद्यालयों में DP चरण पर आवेदन कर सकते हैं। CA स्तर पर पसंद के लिये, वे अपनी पसंद के अधिकतम तीन सेकेंडरी स्कूल अंश A में किसी भी स्कूल नेट से और अंश B में अपनी पसंद अधिकतम तीस सेकेंडरी स्कूल स्कूल नेट में से चुन सकते हैं।

स्कूल स्थान आवंटन अनुभाग
शिक्षा ब्यूरो
सितंबर 2021